

अनुदान संख्या 99 - लक्षद्वीप
GRANT No. 99-LAKSHADWEEP

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | | | |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | | | |
| मूल | Original | 385,69,00 | | |
| पूरक | Supplementary | 120,74,00 | | |
| | | 506,43,00 | 505,99,86 | -43,14 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |
| पूंजीगत: | Capital: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | | | |
| मूल | Original | 180,07,00 | | |
| पूरक | Supplementary | 59,00 | | |
| | | 180,66,00 | 179,08,97 | -1,57,03 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |

Notes and comments

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|
| क - गृह मंत्रालय | A - Ministry of Home Affairs | | | |
| मुख्य शीर्ष "2014" | Major Head "2014" | | | |
| न्याय प्रशासन | Administration of Justice | | | |
| मू. | O. | 84.00 | | |
| पू. | S. | 15.00 | 73.67 | 72.57 |
| पु. | R. | -25.33 | | -1.10 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- |
|--|---|--|--|--|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष मुख्य शीर्ष "2054" खजाना तथा लेखा प्रशासन | Head Major Head "2054" Treasury and Accounts Administration | | | |
| मू. | O. | 151.00 | 169.46 | 168.22 |
| | S. | 32.00 | | |
| पु. | R. | -13.54 | | |
| मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस | Major Head "2055" Police | | | |
| मू. | O. | 1159.00 | 1643.42 | 1639.72 |
| पू. | S. | 543.00 | | |
| पु. | R. | -58.58 | | |
| मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं | Major Head "2070" Other Administrative Services | | | |
| मू. | O. | 143.00 | 135.21 | 132.88 |
| पू. | S. | 26.00 | | |
| पु. | R. | -33.79 | | |
| ख - कृषि मंत्रालय मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म | B – Ministry of Agriculture Major Head "2401" Crop Husbandry | | | |
| मू. | O. | 695.00 | 970.24 | 961.42 |
| पू. | S. | 269.00 | | |
| पु. | R. | 6.24 | | |
| मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन | Major Head "2405" Fisheries | | | |
| मू. | O. | 2778.00 | 1744.22 | 1752.34 |
| पू. | S. | 244.00 | | |
| पु. | R. | -1277.78 | | |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- |
|---|--|--|--|--|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "2425" सहकारिता | Major Head "2425" Co-operation | | | |
| मू. | O. | 979.00 | | |
| पू. | S. | 121.00 | 999.72 | 1004.94 |
| पु. | R. | -100.28 | | +5.22 |
| ग-ग्रामीण विकास मंत्रालय | | C - Ministry of Rural Development | | |
| मुख्य शीर्ष "2402" मृदा तथा जल संरक्षण | Major Head "2402" Soil and Water Conservation | | | |
| मू. | O. | 139.00 | | |
| पू. | S. | 50.00 | 174.34 | 172.21 |
| पु. | R. | -14.66 | | -2.13 |
| मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | Major Head "2515" Other Rural Development Programmes | | | |
| मू. | O. | 583.00 | | |
| पू. | S. | 329.00 | 523.71 | 519.81 |
| पु. | R. | -388.29 | | -3.90 |
| ङ - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | | E- Ministry of Food Processing Industries | | |
| मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य भंडारण और भांडागार | Major Head "2408" Food Storage and Warehousing | | | |
| मू. | O. | 735.00 | | |
| पु. | R. | 200.00 | 935.00 | 934.84 |
| | | | | -0.16 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|--|---|--|--|-----------------|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| च-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | F - Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution | | | |
| मुख्य शीर्ष "3475" | Major Head "3475" | | | |
| अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | Other General Economic Services | | | |
| मू. | O. | 46.00 | | |
| पू. | S. | 10.00 | 49.06 | 48.20 |
| पु. | R. | -6.94 | | -0.86 |
| छ - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | G - Ministry of Health and Family Welfare | | | |
| मुख्य शीर्ष "2210" | Major Head "2210" | | | |
| चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | Medical and Public Health | | | |
| मू. | O. | 945.00 | | |
| पू. | S. | 390.00 | 1269.75 | 1268.06 |
| पु. | R. | -65.25 | | -1.69 |
| ज-प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग | H - Department of Elementary Education and Literacy | | | |
| मुख्य शीर्ष "2202" | Major Head "2202" | | | |
| सामान्य शिक्षा | General Education | | | |
| मू. | O. | 347.00 | | |
| पु. | R. | 200.56 | 547.56 | 545.37 |
| | | | | -2.19 |
| झ - माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग | I - Department of Secondary Education and Higher Education | | | |
| मुख्य शीर्ष "2202" | Major Head "2202" | | | |
| सामान्य शिक्षा | General Education | | | |
| मू. | O. | 3610.00 | | |
| पू. | S. | 1711.00 | 5870.37 | 5864.64 |
| पु. | R. | 549.37 | | -5.73 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- |
|--|--|--|--|--|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| ट-युवा मामले मंत्रालय | K – Ministry of Youth Affairs | | | |
| मुख्य शीर्ष "2204" | Major Head "2204" | | | |
| खेलकूद तथा युवा सेवाएं | Sports and Youth Services | | | |
| मू. | O. | 110.00 | | |
| पू. | S. | 7.00 | 108.82 | 106.77 |
| पु. | R. | -8.18 | | -2.05 |
| ण-श्रम और रोजगार मंत्रालय | O – Ministry of Labour and Employment | | | |
| मुख्य शीर्ष "2230" | Major Head "2230" | | | |
| श्रम तथा रोजगार | Labour and Employment | | | |
| मू. | O. | 133.00 | | |
| पू. | S. | 20.00 | 125.03 | 117.29 |
| पु. | R. | -27.97 | | -7.74 |
| त-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय | P – Ministry of Science and Technology | | | |
| मुख्य शीर्ष "3425" | Major Head "3425" | | | |
| अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | Other Scientific Research | | | |
| मू. | O. | 215.00 | | |
| पू. | S. | 127.00 | 297.92 | 295.31 |
| पु. | R. | -44.08 | | -2.61 |
| थ - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | Q - Ministry of Environment and Forests | | | |
| मुख्य शीर्ष "3435" | Major Head "3435" | | | |
| अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | Ecology and Environment | | | |
| मू. | O. | 131.00 | | |
| पू. | S. | 11.00 | 129.43 | 130.65 |
| पु. | R. | -12.57 | | +1.22 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| ध - जहाजरानी मंत्रालय | S – Ministry of Shipping | | | |
| मुख्य शीर्ष "3051" | Major Head "3051" | | | |
| पत्तन और प्रकाश स्तंभ | Ports and Light Houses | | | |
| मू. | O. | 1717.00 | | |
| पू. | S. | 181.00 | 1835.65 | 1844.22 |
| पु. | R. | -62.35 | | +8.57 |
| प - पर्यटन मंत्रालय | U – Ministry of Tourism | | | |
| मुख्य शीर्ष "3452" | Major Head "3452" | | | |
| पर्यटन | Tourism | | | |
| मू. | O. | 348.00 | | |
| पू. | S. | 18.00 | 353.76 | 352.63 |
| पु. | R. | -12.24 | | -1.13 |
| फ - शहरी विकास मंत्रालय | V – Ministry of Urban Development | | | |
| मुख्य शीर्ष "2059" | Major Head "2059" | | | |
| लोक निर्माण कार्य | Public Works | | | |
| मू. | O. | 1893.00 | | |
| पू. | S. | 311.00 | 2738.97 | 2740.58 |
| पु. | R. | 534.97 | | +1.61 |
| मुख्य शीर्ष "2205" | Major Head "2205" | | | |
| कला और संस्कृति | Arts and Culture | | | |
| मू. | O. | 12.00 | | |
| पु. | R. | 238.12 | 250.12 | 250.09 |
| | | | | -0.03 |
| मुख्य शीर्ष "2216" | Major Head "2216" | | | |
| आवास | Housing | | | |
| मू. | O. | 440.00 | | |
| पू. | S. | 29.00 | 868.33 | 870.58 |
| पु. | R. | 399.33 | | +2.25 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- |
|--|--|------------------------------|--|--|
| (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "2217" | Major Head "2217" | | | |
| शहरी विकास | Urban Development | | | |
| मू. | O. | 8.00 | | |
| पू. | S. | 65.00 | 29.90 | 29.89 |
| पु. | R. | -43.10 | | -0.01 |
| ब - जल संसाधन मंत्रालय | W - Ministry of Water Resources | | | |
| मुख्य शीर्ष "2711" | Major Head "2711" | | | |
| बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास | Flood Control and Drainage | | | |
| मू. | O. | 600.00 | | |
| पू. | S. | | 400.00 | 399.80 |
| पु. | R. | -200.00 | | -0.20 |
| य - नागर विमानन मंत्रालय | Z - Ministry of Civil Aviation | | | |
| मुख्य शीर्ष "3053" | Major Head "3053" | | | |
| नागर विमानन | Civil Aviation | | | |
| मू. | O. | 2094.00 | | |
| पू. | S. | 467.00 | 2477.62 | 2482.80 |
| पु. | R. | -83.38 | | +5.18 |

(I) 282.60 लाख रु. का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 215.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "3452" - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक परिवहन सेवा" के अंतर्गत क्रमांक कोड उपलब्ध न होने की वजह से समस्त व्यय अन्य शीर्ष में दर्ज किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.282.60 lakhs remained wholly unutilised under nineteen heads; of these Rs.215.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Transport Service" - due to booking of entire expenditure in another head owing to non-availability of serial code.

(II) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "सिविल और सत्र न्यायालय-लक्षद्वीप" - 84.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 15.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 99.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 26.43 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) जिला न्यायालय के लिए नए भवन का निर्माण न किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" -

(क) "होम गार्ड - लक्षद्वीप" - 25.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 32.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 14.84 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशासनिक कारणों से होम गार्ड कार्मिकों के वेतन में संशोधन न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - बचाव तथा नियंत्रण" - 115.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 19.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 134.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 19.28 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वर्दी, किट मदों और पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष "2401" - "बीज - नारियल विकास कार्यक्रम" - 71.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 82.55 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 11.17 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रोन्नति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(घा) मुख्य शीर्ष "2405" -

(क) "समुद्री मछली पालन - गहरा सागर मछली पालन" - 2292.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 169.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2461.55

(A) Major Head "2014" - "Civil and Sessions Courts - Lakshadweep" - the original provision of Rs.84.00 lakhs was augmented to Rs.99.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.15.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.26.43 lakhs (including supplementary grant) - due to non-construction of new building for District Court.

(B) Major Head "2070" -

(a) "Home Guards - Lakshadweep" - the original provision of Rs.25.50 lakhs was augmented to Rs.32.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.14.84 lakhs (including supplementary grant) - due to non-revision of salaries for home guard personnel owing to administrative reasons.

(b) "Fire Protection and Control - Protection and Control" - the original provision of Rs.115.50 lakhs was augmented to Rs.134.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.19.28 lakhs (including supplementary grant) - due to non-procurement of uniform, kit articles and Petrol.

(C) Major Head "2401" - "Seeds - Coconut Development Programme" - the original provision of Rs.71.55 lakhs was augmented to Rs.82.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.11.17 lakhs (including supplementary grant) - due to non-awarding of Assured Career Progression to the employees.

(D) Major Head "2405" -

(a) "Marine Fisheries - Deep Sea Fisheries" - the original provision of Rs.2292.55 lakhs was augmented to Rs.2461.55 lakhs by obtaining supplementary grant of

लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1034.91 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (ख) “संसाधन, परिरक्षण और विपणन - मछली बाजार” - 126.86 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 132.86 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 57.63 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आर्थिक सहायता वितरण की पद्धति के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ग) “मछली पकड़ने वाले पोतों का यंत्रीकरण और सुधार - नौका निर्माण बाड़ा” - 123.18 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 147.18 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 112.64 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) तकनीकी कारणों की वजह से मालदीव किस्म के पोतों को शामिल न किए जाने के कारण हुई।
- (ङ) मुख्य शीर्ष “2515” - “अन्य व्यय - द्वीप परिषद/पंचायत” - 535.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 282.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 817.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 363.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने, पदोन्नति न किए जाने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लागू न किए जाने के कारण हुई।
- (च) मुख्य शीर्ष “2210” - “लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय - ई-अभिशासन के लिए अवसंरचना” - 17.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 40.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 31.25 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्थापना संबंधी व्यय और अन्य व्यय को केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम से पूरा किए जाने के कारण हुई।

Rs.169.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1034.91 lakhs (including supplementary grant) – due to non-receipt of claims from Director General of Supplies and Disposals.

- (b) “Processing, Preservation and Marketing – Fish Market” - the original provision of Rs.126.86 lakhs was augmented to Rs.132.86 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.57.63 lakhs (including supplementary grant) – due to non-receipt of approval from Ministry for distribution of subsidy pattern.
- (c) “Mechanisation and Improvement of Fish Crafts – Boat Building Yard” - the original provision of Rs.123.18 lakhs was augmented to Rs.147.18 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.112.64 lakhs (including supplementary grant) – due to non-introduction of Maladivian type vessels owing to technical reasons.
- (E) Major Head “2515” - “Other Expenditure-Island Council/Panchayat” - the original provision of Rs.535.50 lakhs was augmented to Rs.817.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.282.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.363.33 lakhs (including supplementary grant)-due to non receipt of utilisation certificates, non-awarding of promotion and non-implementation of Rural Development Programmes.
- (F) Major Head “2210” - “Public Health - Other Expenditure-Infrastructure for E-Governance” - the original provision of Rs.17.00 lakhs was augmented to Rs.40.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.31.25 lakhs (including supplementary grant) - due to meeting of expenditure on establishment and other miscellaneous items from Centrally Sponsored Scheme.

(छ) मुख्य शीर्ष “2204” - “छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय कैडेट कोर” - 109.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 116.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 10.20 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों के लिए किट मर्चों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ज) मुख्य शीर्ष “2230” - “प्रशिक्षण - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर व्यय - मुख्य भूमि पर प्रशिक्षण” - 42.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 48.60 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 15.97 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(झ) मुख्य शीर्ष “3435” - “अन्य - निदेशन और प्रशासन - स्थापना” - 104.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 11.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 115.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 14.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वन्य जीव जागरूकता शिविर दौरा, जैविक विविधता दिवस, जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण और स्थानीय शिविर आयोजित न किए जाने एवं समुद्री तट पर पौधे लगाए जाने का कार्य न किए जाने के कारण हुई।

(ञ) मुख्य शीर्ष “3452” - “सामान्य - अन्य व्यय - पर्यटन संगठनों का सुदृढीकरण - 101.09 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 111.09 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 14.39 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशासनिक कारणों की वजह से सामग्रियों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(III) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(G) Major Head “2204” - “Youth Welfare Programmes for Students-National Cadet Corps” - the original provision of Rs.109.00 lakhs was augmented to Rs.116.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.10.20 lakhs (including supplementary grant) - due to non-procurement of kit articles for National Cadet Corps students.

(H) Major Head “2230” - “Training-Industrial Training Institute-Expenditure on Industrial Training Institute - Training at Main Land” - the original provision of Rs.42.60 lakhs was augmented to Rs.48.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.15.97 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of utilisation certificates.

(I) Major Head “3435” - “Others - Direction and Administration-Establishment” - the original provision of Rs.104.00 lakhs was augmented to Rs.115.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.11.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.14.35 lakhs (including supplementary grant) - due to non-conducting of wildlife awareness camp tour, Biological diversity day, awareness, education, capacity building and local camp and sea shore plantation.

(J) Major Head “3452” - “General-Other Expenditure - Strengthening of Tourism Organisations” - the original provision of Rs.101.09 lakhs was augmented to Rs.111.09 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.14.39 lakhs (including supplementary grant) - due to non-procurement of materials owing to administrative reasons.

(III) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2054" - "वेतन तथा लेखा कार्यालय - लक्षद्वीप वेतन और लेखा" - 143.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 32.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 175.50 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, वेतन तथा लेखा कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण न किए जाने और कार्यालय लेखन सामग्री की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण 7.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन" - 536.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 360.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 896.40 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, गोला-बारूद की अधिप्राप्ति के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त न होने रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 132.25 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2401" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय स्थापना" - 79.57 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 129.57 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण 15.91 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "कृषि फार्म - प्रायोगिक फार्म" - 115.85 लाख रु. के मूल प्रावधान को 78.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 193.85 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 31.56 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ग) "वनस्पति संरक्षण - कीट-पतंगों और रोगों का नियंत्रण - 182.36 लाख रु. के मूल प्रावधान को 60.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 242.36 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 20.87 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2054" - "Pay and Accounts Office - Lakshadweep Pay and Accounts" - the original provision of Rs.143.50 lakhs was augmented to Rs.175.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.32.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.7.90 lakhs - due to non-construction of new building for PAO and non-procurement of office stationeries.

(B) Major Head "2055" - "Special Police-Indian Reserve Battalion" -the original provision of Rs.536.40 lakhs was augmented to Rs.896.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.360.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.132.25 lakhs - due to non-receipt of approval of Ministry for procurement of arms and ammunition, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(C) Major Head "2401" -

(a) "Direction and Administration - Headquarter Establishment" - the original provision of Rs.79.57 lakhs was augmented to Rs.129.57 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15.91 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Agricultural Farms-Experimental Farm" - the original provision of Rs.115.85 lakhs was augmented to Rs.193.85 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.78.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.31.56 lakhs; and

(c) "Plant Protection - Control of Pests and Diseases" - the original provision of Rs.182.36 lakhs was augmented to Rs.242.36 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.60.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.20.87 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम प्रदान न किए जाने के कारण हुईं।

(घा) मुख्य शीर्ष "2405" - "निदेशन और प्रशासन - मछली पालन निदेशालय" - 43.45 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 64.45 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 16.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ड) मुख्य शीर्ष "2425" - "अन्य सहकारिताओं को सहायता - श्रमिक संविदा समितियां" - 875.97 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 975.97 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, ऋण सहकारी और विपणन संघ को प्रबंधकीय आर्थिक सहायता जारी न किए जाने कारण 96.72 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(चा) मुख्य शीर्ष "2402" - "भूमि का सुधार और विकास - लक्षद्वीप" - 105.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 135.70 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, अस्थायी स्थिति के श्रमिकों को बकाया राशि की अदायगी न किए जाने के कारण 21.57 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(छा) मुख्य शीर्ष "2515" - "निदेशन और प्रशासन - जिला परिषद" - 43.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 47.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 90.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रोन्नति प्रदान न किए जाने के कारण 24.36 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(जा) मुख्य शीर्ष "3475" - "भार और मापों का विनियमन - विधिक माप-पद्धति" - 44.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 54.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 5.80 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Savings under the above two heads were due to non-awarding of Assured Career Progression Scheme to the employees.

(D) Major Head "2405" - "Direction and Administration-Fisheries Directorate" - the original provision of Rs.43.45 lakhs was augmented to Rs.64.45 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.16.18 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(E) Major Head "2425" - "Assistance to other Co-operatives-Labour Contract Societies" - the original provision of Rs.875.97 lakhs was augmented to Rs.975.97 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.96.72 lakhs - due to non-release of managerial subsidy to Credit Co-operative and Marketing Federation.

(F) Major Head "2402" - "Land Reclamation and Development-Lakshadweep" - the original provision of Rs.105.70 lakhs was augmented to Rs.135.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.21.57 lakhs - due to non-payment of arrears to temporary status labourers.

(G) Major Head "2515" - "Direction and Administration-District Council" - the original provision of Rs.43.00 lakhs was augmented to Rs.90.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.47.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.24.36 lakhs - due to non-awarding of Assured Career Progression Scheme to the employees.

(H) Major Head "3475" - "Regulation of Weights and Measures-Legal Metrology" - the original provision of Rs.44.00 lakhs was augmented to Rs.54.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.80 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(झा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - औषधि भंडार डिपो - लक्षद्वीप औषधि भंडार" - 23.06 लाख रु. के मूल प्रावधान को 16.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 39.06 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, समूह 'घ' कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम और उच्च वेतन बैंड प्रदान न किए जाने के कारण 11.95 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय और अस्पताल" - 500.75 लाख रु. के मूल प्रावधान को 314.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 814.75 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, औषधि की खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और समूह 'घ' कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम प्रदान न किए जाने के कारण 33.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ज) मुख्य शीर्ष "2230" - "श्रम - निदेशन और प्रशासन श्रम प्रवर्तन कार्यालय" - 2.69 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 10.69 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 6.03 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ट) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय स्थापना" - 209.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 127.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 336.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, संगोष्ठी/प्रदर्शनी, प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम और एनएसडी/प्रौद्योगिकी दिवस आयोजित न किए जाने के कारण 42.06 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy - Medical Stores Depots - Lakshadweep Medical Store" - the original provision of Rs.23.06 lakhs was augmented to Rs.39.06 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.16.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.11.95 lakhs - due to non-awarding of Assured Career Progression Scheme and higher pay band to Group 'D' staff.

(b) "Rural Health Services - Allopathy - Direction and Administration - Headquarters and Hospitals" - the original provision of Rs.500.75 lakhs was augmented to Rs.814.75 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.314.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.50 lakhs - due to non-finalisation of tenders for purchase of medicine and non-awarding of Assured Career Progression Scheme to Group 'D' Staff.

(J) Major Head "2230" - "Labour - Direction and Administration - Labour Enforcement Office" - the original provision of Rs.2.69 lakhs was augmented to Rs.10.69 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.6.03 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(K) Major Head "3425" - "Others - Direction and Administration - Headquarters Establishment" - the original provision of Rs.209.00 lakhs was augmented to Rs.336.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.127.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.42.06 lakhs - due to non-conducting of seminar/exhibition, Training/Capacity Building programmes and celebration of NSD/Technology day.

(ठ) मुख्य शीर्ष "3051" - "लघु पत्तन" -

(क) "निर्देशन और प्रशासन - प्रबंधन" - 251.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 75.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 326.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 14.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) "पत्तन प्रबंधन - पत्तन स्थापना" - 129.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 38.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 167.70 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 12.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(डा) मुख्य शीर्ष "2217" - "अन्य शहरी विकास स्कीम - अन्य व्यय - शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि" - 8.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 65.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 73.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, प्रशासनिक कारणों की वजह से द्वीपों के सौन्दर्यीकरण का कार्य शुरू न किए जाने के कारण 43.11 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ढा) मुख्य शीर्ष "3053" - "सामान्य - अन्य व्यय - हेलीकाप्टर सेवाओं को अदायगी" - 2075.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 462.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2537.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, पवन हंस कारपोरेशन लिमिटेड से दावे प्राप्त न होने के कारण 77.36 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2711" - "समुद्री क्षरणरोधी परियोजनाएं - अन्य व्यय - समुद्री क्षरण की रोकथाम" के अंतर्गत 200.20 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी कारणों से समुद्री चट्टान और तट पर समुद्री क्षरणरोधी कार्य की परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(L) Major Head "3051" - "Minor Ports" -

(a) "Direction and Administration-Management" - the original provision of Rs.251.00 lakhs was augmented to Rs.326.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.75.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.16 lakhs; and

(b) "Port Management-Port Establishment" - the original provision of Rs.129.70 lakhs was augmented to Rs.167.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.38.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.67 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(M) Major Head "2217" - "Other Urban Development Scheme-Other Expenditure-Urban Reforms Incentive Fund(URIF)" - the original provision of Rs.8.00 lakhs was augmented to Rs.73.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.65.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of Rs.43.11 lakhs - due to non-taking up of the work of beautification of the Islands owing to administrative reasons.

(N) Major Head "3053" - "General-Other Expenditure-Payment to Helicopter Services" - the original provision of Rs.2075.00 lakhs was augmented to Rs.2537.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.462.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.77.36 lakhs - due to non-receipt of claims from Pawan Hans Corporation Limited.

(IV) Under Major Head "2711" - "Anti-Sea Erosion Projects-Other Expenditure-Prevention of Sea Erosion" - saving of Rs.200.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-finalisation of the project of anti sea erosion work in the reef and shore owing to technical reasons.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 94.58 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:

(I) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - अधिप्राप्ति तथा पूर्ति - खाद्यान्नों की खरीद" - 199.84 लाख रु. का अधिक व्यय (735.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चावल एवं चीनी और मिट्टी के तेल जैसी अधिक अनिवार्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2202" -

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - सरकारी प्राथमिक विद्यालय - प्राथमिक शिक्षा" - 203.37 लाख रु. का अधिक व्यय (342.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहली से दसवीं कक्षा के छात्रों को वर्दी के दो जोड़ों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - जूनियर कालेज" - 528.27 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 65.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 606.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन के निर्माण के लिए भूमि के मुआवजे की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - पर्यटन निदेशालय" - 217.75 लाख रु. का अधिक व्यय (अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 8.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 37.91 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष क्रम कोड प्राप्त न होने की वजह से समस्त व्यय को शीर्ष 3452.01.103 के अंतर्गत लेखाबद्ध किए जाने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - उचंत-स्टाक" - 488.53 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 140.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1475.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन सामग्री

(V) Under one head saving of Rs.94.58 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2408" - "Food-Procurement and Supply-Purchase of Food Grains" - excess of Rs.199.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.735.00 lakhs) was due to procurement of more essential commodities like Rice and Sugar and Kerosene.

(II) Major Head "2202" -

(A) "Elementary Education - Government Primary Schools - Primary Education" - excess of Rs.203.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.342.00 lakhs) was due to procurement of two pairs of uniform to one to tenth Standard Students.

(B) "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Junior Colleges" -excess of Rs.528.27 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.606.00 lakhs including supplementary grant of Rs.65.00 lakhs obtained in February, 2009) was due to payment of land compensation for construction of building.

(III) Major Head "3452" - "General-Direction and Administration-Directorate of Tourism" - excess of Rs.217.75 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.37.91 lakhs including supplementary grant of Rs.8.00 lakhs obtained in October,2008) was due to booking of entire expenditure incurred under the head 3452.01.103 owing to non-receipt of Major Head serial code.

(IV) Major Head "2059" - "General-Suspense-Stock" - excess of Rs.488.53 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1475.00 lakhs including supplementary grant of Rs.140.00 lakhs obtained in February,2009) was due to

की लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(V) मुख्य शीर्ष “2205” - “अन्य व्यय - भवन” - 238.09 लाख रु. का अधिक व्यय (12.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभागीय कार्यालय भवनों की रख-रखाव सामग्री की लागत को पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(VI) मुख्य शीर्ष “2216” -

(का) “सामान्य पूल आवास - निदेशन और प्रशासन - रख-रखाव और मरम्मत” - 107.74 लाख रु. का अधिक व्यय (178.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी भवनों की मरम्मत के कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) “सामान्य - आवास बोर्ड/निगम आदि को सहायता - लक्षद्वीप आवास विकास बोर्ड” - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आपूर्ति किए जाने के लिए बोर्ड द्वारा अधिप्राप्त की गई भवन निर्माण सामग्री की लागत को पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(VII) तीन शीर्षों के अंतर्गत 220.12 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (157.03 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 59.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

requirement of additional funds to meet the cost of building materials.

(V) Major Head “2205” - “Other Expenditure-Building” - excess of Rs.238.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet cost of maintenance materials of Departmental Office Buildings.

(VI) Major Head “2216” -

(A) “General Pool Accommodation - Direction and Administration - Maintenance and Repairs” - excess of Rs.107.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.178.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for repair work of Government buildings.

(B) “General - Assistance to Housing Board/ Corporation etc. - Lakshadweep Housing Development Board” - excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet the cost of building materials procured by the Board for supply to BPL families.

(VII) Under three heads excess of Rs.220.12 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 24 percent to 40 percent of the total sanctioned provisions.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.157.03 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.59.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- |
|--|--|--|--|--|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| द - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | R - Ministry of Road Transport and Highways Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges | | | |
| मू. | O. | 400.00 | | |
| पू. | S. | 57.00 | 957.52 | 960.26 |
| पु. | R. | 500.52 | | +2.74 |
| फ - शहरी विकास मंत्रालय मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | V - Ministry of Urban Development Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works | | | |
| मू. | O. | 450.00 | | |
| पु. | R. | 90.80 | 540.80 | 547.66 |
| | | | | +6.86 |
| मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture | | | |
| मू. | O. | 555.00 | | |
| पु. | R. | -209.25 | 345.75 | 343.61 |
| | | | | -2.14 |
| मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health | | | |
| मू. | O. | 300.00 | | |
| पु. | R. | -248.43 | 51.57 | 51.58 |
| | | | | +0.01 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- |
|--|---|--|--|--|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "4215" जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation | | | |
| मू. | O. | 2862.00 | 3404.93 | 3405.31 |
| पु. | R. | 542.93 | | |
| मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4216" Capital Outlay on Housing | | | |
| मू. | O. | 450.00 | 268.91 | 268.91 |
| पु. | R. | -181.09 | | |
| (I) 400.00 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा। | | (I) Provision of Rs.400.00 lakhs remained wholly unutilized under fourteen heads. | | |
| (II) मुख्य शीर्ष "4202" - "खेलकूद तथा युवा सेवाएं - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 104.00 लाख रु. बचत (145.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कवारत्ती में राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई। | | (II) Under Major Head "4202" - "Sports and Youth Services - Other Expenditure - Building" - saving of Rs.104.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.145.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for construction of building for State Central Library at Kavaratti. | | |
| (III) मुख्य शीर्ष "4210" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 248.42 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से कवारत्ती में निदेशालय भवन के निर्माण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई। | | (III) Under Major Head "4210" - "General - Other Expenditure - Building" - saving of Rs.248.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non- construction of Directorate building at Kavaratti owing to administrative reasons. | | |
| (IV) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी क्वार्टरों का निर्माण" के अंतर्गत 181.09 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से टाइप-II/टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण न किए जाने के कारण हुई। | | (IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Building - General Pool Accommodation - Construction of Government Quarters" - saving of Rs.181.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-construction of Type II/Type III quarters owing to non-finalisation of acquisition proceedings. | | |

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत 224.72 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक थीं।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "5054" - जिला और अन्य सड़कें - अन्य व्यय - संपर्क सड़कों का निर्माण" - 503.26 लाख रु. का अधिक व्यय (57.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 457.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न द्वीपों में भूमि के मुआवजे और सम्पर्क सड़कों का निर्माण किए जाने संबंधी अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - भवन" - 195.29 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति" -

(का) "लक्षद्वीप में पेय जल" - 423.93 लाख रु. का अधिक व्यय (2848.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न द्वीपों में विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना/संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को अदायगी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "अन्य ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम" - 119.38 लाख रु. का अधिक व्यय (14.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगाती, मिनीकाय और अमिनी में विलवणीकरण संयंत्रों का निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(V) Under three heads savings of Rs.224.72 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 35 percent to 65 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "5054" - "District and Other Roads - Other Expenditure - Construction of Link Roads" - excess of Rs.503.26 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.457.00 lakhs including supplementary grant of Rs.57.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment towards land compensation and construction of link roads in various islands.

(II) Major Head "4059" - "General - Construction - Building" - excess of Rs.195.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of various office buildings.

(III) Major Head "4215" - "Water Supply - Rural Water Supply" -

(A) "Potable Water in Lakshadweep" - excess of Rs.423.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2848.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment to National Institute of Ocean Technology for installation/augmentation of desalination plant in various islands.

(B) "Other Rural Water Supply Programme" - excess of Rs.119.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14.00 lakhs) was due to construction of Desalination Plants at Agatti, Minicoy and Amini.